भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 624

उत्तर देने की तारीख : 28.11.2024

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत वित्तीय सहायता

624. **श्रीमती डी. के. अरुणाः**
श्री इटेला राजेंदरः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न औद्योगिक संघों द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया तथा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों की समीक्षा की और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश से कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने के लिए सात प्रमुख पहलों और कौशल विकास के लिए तीन योजनाएं प्रस्तावित की हैं और यदि हां, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा इस योजना के आरंभ से अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत/खर्च की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) : भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा संयुक्त रूप से पीएम विश्वकर्मा का कार्यान्वयन किया जाता है। एमएसडीई द्वारा कौशल विकास घटक का क्रियान्वयन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल को उन्नत करने के उद्देश्य से किया जाता है। एमएसडीई से प्राप्त सूचना के अनुसार, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल संवर्धन के उद्देश्य से, पीएम विश्वकर्मा योजना के विभिन्न घटकों की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कौशल परिषद(एसएससी) और उद्योग संघों के साथ बैठकें बुलाई गई हैं।

(ख) : देश में 25.11.2024 तक, कुल 2.59 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 24.82 लाख लाभार्थी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत हैं।

(ग) और (घ) : पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य अपने हाथों और उपकरणों से काम करनेवाले 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है। इस योजना में छः घटक शामिल हैं:

(i) पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड
(ii) कौशल उन्नयन
(iii) टूलकिट प्रोत्साहन
(iv) क्रेडिट सहायता
(v) डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन
(vi) विपणन सहायता

कौशल घटक के अंतर्गत, लाभार्थियों को 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों का उन्नत प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, लाभार्थियों को यात्रा व्यय के साथ-साथ पारिश्रमिक मुआवजे के रूप में 500 रुपए प्रति दिन का पारितोषिक भी दिया जाता है।

क्रेडिट घटक के तहत, संपार्श्विक-मुक्त उद्यम विकास ऋण 5% की रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है, जिसमें कुल ऋण की सहायता राशि 3,00,000 रुपए की होती है। लाभार्थी को 1,00,000 रुपए तक की पहली ऋण किश्त प्रदान की जा सकती है और ऋण की पहली किश्त चुकाने के बाद लाभार्थी 2,00,000 रुपए तक की दूसरी ऋण किश्त का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार 8% तक का ब्याज अनुदान देती है।

दिनांक 17.09.2023 को योजना शुरू होने के बाद से 25.11.2024 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सहित योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकरण, पूर्ण कौशल प्रशिक्षण और स्वीकृत ऋण का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

शुरुआत से लेकर अब तक 24.82 लाख लाभार्थियों ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण कराया है। योजना के तहत स्वीकृत और व्यय की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**संशोधित अनुमान (आरई) (करोड़ रुपए में)**	**व्यय की गई राशि (करोड़ रुपए)**
2023-24	746	746
2024-25 (25.11.2024 तक)	3200	1375.19

*****

अनुबंध

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 624, जिसका उत्तर दिनांक 28.11.2024 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में संदर्भित अनुबंध ।

दिनांक 17.09.2023 से 25.11.2024 तक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कुल पंजीकरण, पूर्ण कौशल प्रशिक्षण और स्वीकृत ऋणों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	पंजीकरणों की संख्या	प्रदान किये गये कौशल प्रशिक्षण की संख्या	स्वीकृत ऋणों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1,98,227	90,084	19,979
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,094	27	0
3.	असम	97,522	46,410	6,841
4.	बिहार	95,050	28,871	4,670
5.	छत्तीसगढ़	1,12,835	49,510	3,713
6.	गोवा	17,353	3,876	364
7.	गुजरात	2,02,532	1,39,767	29,920
8.	हरियाणा	25,697	13,139	2,702
9.	हिमाचल प्रदेश	17,772	5,986	621
10.	जम्मू और कश्मीर	1,47,444	1,06,205	10,342
11.	झारखंड	33,556	18,272	2,301
12.	कर्नाटक	5,27,354	2,94,217	58,483
13.	केरल	20,178	4,086	916
14.	मध्य प्रदेश	1,96,017	85,583	12,713
15.	महाराष्ट्र	2,22,654	98,770	20,718
16.	मणिपुर	10,816	2,361	380
17.	मेघालय	226	17	0
18.	मिजोरम	2,608	241	1
19.	नागालैंड	2,418	681	91
20.	ओडिशा	83,798	23,717	3,907
21.	पंजाब	8,060	2,710	378
22.	राजस्थान	2,05,411	1,14,157	21,100
23.	सिक्किम	1,934	157	1
24.	तमिलनाडु	1	0	0
25.	तेलंगाना	67,415	41,641	12,301
26.	त्रिपुरा	18,908	10,682	2,375
27.	उत्तर प्रदेश	1,39,639	42,467	3,231
28.	उत्तराखंड	18,534	5,973	361
29.	पश्चिम बंगाल	1	0	0
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	714	290	0
31.	चंडीगढ़	197	46	11
32.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	695	18	0
33.	दिल्ली	641	10	0
34.	लद्दाख	3,516	1,483	238
35.	लक्षद्वीप	654	0	0
36.	पुडुचेरी	560	44	4
	कुल	**24,82,031**	**12,31,498**	**2,18,662**

******